तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	32/2017 श्यामलाल / सरकार	
9.3.21	दिनांक 8/3/21 का अवकाश घोषित होने से पत्रावली पेश हुई। बार द्वारा शोक प्रस्ताव पारित कर न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 10/03/21 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
10/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी अनु। न्यायहित में एक अंतिम अवसर दिया जाता। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार पार्टी बहस दिनांक 22/03/21 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
22/3/21	पत्रावली पेश हुई। बार द्वारा शोक प्रस्ताव पारित कर न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 24/3/21 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
24/3/21	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। वकील रेस्पोंडेन्ट अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अंतिम आवाज 05:00 PM पर लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद प्रविष्टि रिकॉर्ड अन्दर हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

Scanned by CamScanner

2017/00030

32/2017

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर।

रामजीलाल उम्र लगभग 70 वर्ष पुत्र रामरतन मीना, जाति–मीना, निवासी ग्राम चांदेरा, तहसील–सिकराय, जिला दौसा।

Reader श्री सुशील कुमार मिश्रा Advocate द्वारा प्रस्तुत। दिनांक 21/7/2017

वनाम

1. हरसहाय पुत्र धन्ना उम्र लगभग 70 वर्ष
2. छोटा पुत्र धन्ना उम्र लगभग 60 वर्ष
3. घमसी पुत्र धन्ना उम्र लगभग 50 वर्ष
4. हनुमान सहाय पुत्र रामधन उम्र लगभग 55 वर्ष
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम चांदेरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उप–खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा। बअनुवानी प्रकरण हरसहाय वनाम राजस्थान सरकार, मुकदमा संख्या 14/2017। निर्णय दिनांक 01.06.17.

महोदय,

संक्षिप्त तथ्य अपील निम्नांकित सेवार्पित है।

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 / प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का अधिनस्थ न्यायालय उप–खण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या नया 215 पुराना 193 के खसरा नम्बर 308 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 511 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 565 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 662 रकबा 0.14 है0 खसरा नम्बर 663 रकबा 0.34 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.72 हैक्टेयर वाके रामा चांदेरा तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है, जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम से दर्ज है, प्रार्थीगण इस भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी पर पड़ोसी खातेदार जोरजबरदस्ती लाठी व डण्डे के बल पर कब्जा करना चाहते है तथा भूमि को लाठी के बल पर हड़पना चाहते है। जिसके कारण प्रार्थीगण को उसके पड़ोसी खातेदारों से भूमि सम्बन्धित विवाद बना रहता है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि मे से कुछ भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 30.06.2016 को श्रीमान् तहसीलदार जी सिकराय द्वारा करवा दिया गया है। इस सीमाज्ञान को पड़ोसी खातेदार मानने को तैयार नहीं है, इस कारण प्रार्थीगण एवं पड़ौसी खातेदार के मध्य में फौजदारी मुकदमे भी दर्ज हो सकते है तथा लड़ाइ झगडे का पूरा–पूरा अंदेशा बना रहता है। इसलिये

नि: रामजीलाल

Scanned by CamScanner